

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :-20.09.2024

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम अमृतपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना अमृतपुर पर मु०अ०स०- 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



अभियुक्त का नाम व पता:-

1.पवन कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम अमृतपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- थाना अमृतपुर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम अमृतपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास कस्बा अमृतपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त पवन कुमार ने पूछताछ करने पर अपनी सफाई जरिए अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना को बताया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर।
2. मु0अ0सं0 99/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 देशी तमंचा 315 बोर।
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर
2. उ0नि0 जगभान सिंह
3. उ0नि0 विमल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि०- 20.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रज्जाक पुत्र वकार अहमद फकीर निवासी वर्तमान पता काशीराम कालोनी अलीगंज जनपद एटा स्थायी पता गढका गजडुण्डवारा जनपद कासगंज मु०अ०सं०- 531/2018 वाद स०- 324/2018 धारा- 25 A ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2024 को मा० न्यायालय डकैती कोर्ट/ए०डी०जे०- तृतीय कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजसिंह



कोर्ट मोहरीर का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० विवेक कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0- 20.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त ईस्माइल पुत्र अनीश फकीर वर्तमान पता उपरोक्त एवं स्थायी पता डबोरा गढिया रंगीन शाहजहांपुर मु०अ०सं०- 532/2018 वाद स०- 325/2018 धारा- 25 A ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2024 को मा० न्यायालय डकैती कोर्ट/ए०डी०जे०- तृतीय कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजसिंह



कोर्ट मोहररि का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० विवेक कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0- 20.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र वकार अहमद फकीर निवासी वर्तमान पता काशीराम कालोनी अलीगंज जनपद एटा स्थायी पता गढका गजडुण्डवारा कासगंज 2. ईस्माइल पुत्र अनीश फकीर वर्तमान पता उपरोक्त एवं स्थायी पता डवोरा गढिया रंगीन जनपद शाहजहांपुर 3. सनी पुत्र रज्जाक फकीर वर्तमान पता उपरोक्त स्थायी पता गढका गजडुण्डवारा जनपद कासगंज मु0अ0सं0- 466/2018 वाद स0- 118/2018 धारा- 397,412 IPC कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2024 को मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट/ए0डी0जे0- तृतीय कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजसिंह



कोर्ट मोहररि का0 बन्टी कुमार



पैरोकार का0 विवेक कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि०- 20.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र वकार अहमद फकीर निवासी वर्तमान पता काशीराम कालोनी अलीगंज एटा स्थायी पता गढका गजडुण्डवारा कासगंज 2. ईस्माइल पुत्र अनीश फकीर वर्तमान पता उपरोक्त एवं स्थायी पता डवोरा गढिया रंगीन शाहजहांपुर 3. सनी पुत्र रज्जाक फकीर वर्तमान पता उपरोक्त स्थायी पता गढका गजडुण्डवारा कासगंज मु०अ०सं०- 530/2018 वाद स०- 323/2018 धारा- 307/34 IPC कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2024 को मा० न्यायालय डकैती कोर्ट/ए०डी०जे०- तृतीय कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 500-500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री तेजसिंह



कोर्ट मोहरीर का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० विवेक कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०- 20.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रतनवीर पुत्र स्व० बलवन्त सिंह निवासी नवादा महमदगंज थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 318/2013 वाद स०-974/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि० के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट फर्रु० द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहर्रिर म०का० चांदनी



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह